

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 201/2020
3. उनवान : सरकार जरिये रतनलाल योगी, तहसीलदार व प्रवर्तन निरीक्षक  
बनाम  
श्री गोविन्द पुत्र सत्यनारायण अग्रवाल, निवासी थावरियों का  
मोहल्ला, चौमू, प्रोपराइटर मैसर्स गोविन्दम स्वीट सदर बाजार  
चौमू
4. निर्णय दिनांक : 19.03.2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955


प्रार्थी तहसीलदार व प्रवर्तन निरीक्षक, चौमू, जयपुर रतनलाल योगी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 17.10.2012 को घरेलू गैस सिलेण्डरों की कालाबाजारी की शिकायत की जांच हेतु मैसर्स गोविन्दम स्वीट सदर बाजार चौमू पहुंचे। मौके पर फर्म मालिक श्री गोविन्द उपस्थित मिला। मौके पर घरेलू सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था। मौके पर उपस्थित फर्म मालिक द्वारा इस संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने और गैस कनेक्शन संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर 1 घरेलू सिलेण्डर एचपीसी मय 7 किग्रा. एलपीजी के जब्त किया गया। ऐसी स्थिति में निरीक्षण पर्चा, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6-ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रूप से तामील है। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अप्रार्थी की ओर से आदिनांक तक कोई जवाब पेश नहीं किया गया। दिनांक 04.07.2023 को अप्रार्थी का जवाब बन्द कर इकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान भी बार-बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थी अनुपस्थित रहा। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 19.03.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 17.10.2012 को जब्त घरेलू सिलेण्डर का अप्रार्थी द्वारा वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से संबंधित दस्तावेज मौके पर अथवा आज तक उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी मौके पर व आज तक नहीं दिया गया। अप्रार्थी अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। इससे अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर के वाणिज्यिक उपयोग की पुष्टि होती है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्द वृत्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा फर्द अनुसार जब्त सामान 1 घरेलू सिलेण्डर एचपीसी मय 7 किग्रा. एलपीजी को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(राजकुमार कस्वा)  
अति. जिला कलक्टर एवं  
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)  
जयपुर